

## समिति की नियमावली (संशोधित)

1. संस्था का नाम
2. संस्था का फैजीकूट कार्यालय
3. संस्था का कार्फेस्ट्र एवं न्याय केन्द्र
4. संस्था के उद्देश्य

: श्रीमती विधावती एज्जकेशनल सोसायटी  
 : संघा सदन, गेट न0- 3 मेडिकल कालेज के  
 सामने कानपुर रोड झौसी  
 : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा ।  
 : एवं न्याय केन्द्र झौसी रहेगा ।  
 : संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार रहेगी ।

### 2. संस्था की साधारण सभा

1. संस्था के सदस्य जिन्होने स्थृति - पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं एवं संस्था का प्रारम्भिक गठन किया है ।
2. क्षेत्र का कोई व्यक्ति समिति/ संस्था जिसने एक मुफ्त रूपये 25000/- संस्था को द्वान् स्वरूप दिये हो और जिसे संस्था के दो विहाई सदस्य ने कुमत से स्वीकार करें। समिति या संस्था अपने किसी भी सदस्य को एक निश्चित समय के लिये नामित कर सकती है ।
3. कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे साधारण सभा दो विहाई कुमत से स्वीकार करें ।
4. संस्था में साधारण सभा के कुल सदस्यों की संस्था बीस से अधिक नहीं होगी ।

### 3. सदस्यों की नामावली :

1. संस्था सदस्यों की नामावली रखेगी जिसमें उनके वर्तमान पते व हस्ताक्षर होंगी । नामावली पर दिना हस्ताक्षर किये व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं माना जायेगा । और उसे संस्था के सदस्य के कोई अधिकार प्राप्त न हो सकेंगे ।

### 4. संस्था के सदस्य का पता :

1. यदि संस्था के किसी सदस्य का पता परिवर्तित होता है तो उसे संस्था के प्रबन्धक ने सूचित करना होगा ।

### सत्य-प्रतिलिपि

सहायता रजिस्ट्रार  
फृष्ट सौसी बडोज एवं चिट्ठा  
५३०९०, झौसी  
११-२-०५

## 5. कार्यकाल सदस्यता का :

(7)

- अ - अगर किसी सदस्य को समिति सरकारी प्रतिनिधि या दूसरी संस्थाओं द्वारा नामित होने के आधार पर सदस्यता प्राप्त है तो उस सदस्य द्वारा उस निकाय को त्यागने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी ।
- ब - संस्था का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पन्न, प्रबन्धक को दे सकता है । उसका त्याग पन्न प्राप्ति की तिथि से स्वीकार माना जायेगा परन्तु ऐसा सदस्य जो संस्था कार्यकारिणी का पदाधिकारी है, उसका त्याग पन्न स्वीकृति के दिनांक से माना जायेगा ।
- स - किसी सदस्य से पांचल, दिवालिया हो जाने पर न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर या संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर संस्था की तदस्यता समाप्त की जा सकेगी । परि कोई सदस्य संस्था के नियमों के या संस्था की गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है, तो साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर सदस्यता समाप्त कर सकेगी । साधारण सभा किसी भी ऐसे सदस्य को सदस्यता समाप्ति ते पहले अगली सभा तक निलम्बित भी कर सकती है । परन्तु ऐसे सदस्य को जिसकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव है, वह उस साधारण सभा, जिसमें कि उसकी सदस्यता समाप्ति पर विचार होना है को सम्बोधन करने का अधिकार होगा ।
- द - कोई भी व्यक्ति त्याग पन्न देता है या सदस्यता से हटाया जाता है, उसका नाम सदस्यता की नामावली से छुटा दिया जायेगा और उसे कोई धनराशि जो उसके द्वारा दी गयी है, उसको या उसके किसी भाग को पाने का हकदार नहीं होगा ।

## 6 - संस्था की साधारण सभा -:

संस्था की साधारण सभा की ऐनक वित्तिय ऐनक वर्ष की समाप्ति पर तीन माह के अन्दर ऐसे समय और स्थान जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत होगा, दुलाई जाएगी । साधारण सभा में पिछली साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि प्रबन्ध समिति की वार्षिक अस्था पर विचार, वार्षिक लेहा एवं अगले वर्ष के बजट जो कि प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकार किया गया हो, विचार और प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का नियम 13 के अन्तर्गत निर्वाचन करेगी । ऐनक के अन्य विषय जो कि 3 या 3 से अधिक सदस्यों द्वारा, जिसकी सूचना सदस्यों द्वारा प्रबन्ध की मीटिंग की दिनांक से कम से कम 4 दिन पहले लिखित रूप में सूचित किया गया हो, व अन्य विषयों पर भी अप्रवाक की अनुमति से विचार करेगी ।

**मृत्यु-प्रतिलिपि**

मृत्यु-प्रतिलिपि  
सहायक रजिस्ट्रार  
फार्म्स सोसायटी एवं चिट्ठा  
च०प्र०, सांसी  
१९८२-०५

(6)

7 - प्रबन्ध समिति की एक तिहाई या अधिक सदस्यों की मौग पर या साधारण सभा के एक साधारण सभा की बैठक उन्हीं विषयों पर विचार करेगी जो प्रस्तावित हुए हैं और जिन्हे प्रबन्धक या संस्था के पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा नियमानुसार भेजा गया है। इस प्रकार की मौग पद्धति प्राप्त होने के उपरान्त अध्यक्ष अधिनियम 8 के नियमानुसार संस्था की बैठक एक माह के अन्वर बुलाएगा। कोई भी विषय जो इस मौग में सम्मिलित नहीं है और न ही नोटिस में दर्शाया गया है पर विचार इस विशेष बैठक में नहीं होगा। परन्तु किसी विशेष आवश्यक कार्य को अध्यक्ष की अनुमति से विचारार्थ रक्खा जा सकता है।

### सूचनाये :-

साधारण सभा की बैठक हेतु सूचना दिनांक, समय, स्थान एवं कार्य सूची के साथ प्रत्येक सदस्य को सभा के दिन से 10 दिन पुर्व भेजी जायेगी। यदि संस्था के किसी सदस्य को सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो भी सभा की कार्यवाही गणपूर्ति होने पर सम्पन्न हो सकती है।

यदि कोई सदस्य संस्था के कार्यों से सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे संस्था के पास आवेदन, पॉच कार्य दिवस पुर्व करना होगा।

9 :- संस्था का अध्यक्ष ही साधारण सभा वथा सभी सभाओं को संचालित करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उसके बाद उपस्थिति सदस्यों में से किसी भी सदस्य को बहुमत से उपस्थिति सदस्य बद्धता हेतु छुन लेंगे। अध्यक्ष की इच्छानुसार ही कार्य का क्रम, जिस प्रकार कार्यक्रम संचालित होना तय होगा। किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले सदस्यों की संस्था अध्यक्ष निविदित कर सकता है कार्य सूची में दिये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त किसी अन्य विन्दु पर विचार हेतु अनुमति दे सकता है।

### 10. गणपूर्ति :-

गणपूर्ति हेतु संस्था के एक तिहाई सदस्यों की साधारण सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक है। सदस्यों की मौग पर बुलाई गई सभा में यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो मौग निरस्त मानी जायेगी। अन्य स्थितियों में सभा अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि के लिये स्थगित होगी। इस स्थगित सभा में होने की सूचना सभी सदस्यों को भेजी जायेगी और इस सभा के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

### 11. मतदान :-

प्रतिकूल नियमों को छोड़ कर संस्था की सभा में सभी विषयों पर उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से निर्णय होगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा। मतदान में दोनों पक्षों की संस्था समान होने की दशा में अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।

### तत्य-प्रतिलिपि

सहायक एजिस्ट्रार

फार्म सौसायटी एवं चिट्ठ

M-च०३०, शांदी  
19/2/05

## 12 - प्रबन्ध समिति -

प्रारम्भ में प्रबन्ध समिति में सात सदस्य जो कि संस्था के सदस्य होगे । बाद में वह संख्या 20 तक बढ़ाई जा सकती है । प्रत्येक प्रबन्ध समिति का कार्य काल 3 वर्ष या साधारण सभा की तीसरी वार्षिक बैठक जों भी पहले हो तक होगा । साधारण प्रबन्ध समिति के लिए किसी भी सदस्य को फिर से निर्वाचित कर सकती है ।

## 13 - प्रबन्ध समिति के लिए निर्वाचन -

अ - प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए उस साधारण सभा से जिसमें निर्वाचन होना है कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित में प्रबन्धक को प्राप्त कराना होगा प्रत्येक नामांकन संस्था के तीन सदस्यों के तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा । यह नामांकन साधारण सभा में प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगे और साधारण सभा प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन करेगी । यदि साधारण सभा चाहे तो निर्वाचन कराने हेतु किसी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और उसके लिए नियम साधारण सभा या निर्वाचित अधिकारी बनाने हेतु सक्षम होगे ।

ब - प्रबन्ध समिति किसी भी विशेष सम्मानित व्यक्ति को प्रबन्ध समिति में तीन वर्ष के लिए सहयोगित सदस्य के रूप में नामित कर सकेगी । जिसकी पुष्टि अगली साधारण सभा में आवश्यक होगी । इन सदस्यों को मतदान के अतिरिक्त सभी अधिकार प्राप्त होगे ।

स - अधिकारी प्रबन्ध समिति के सहमति से समिति का चुनाव विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक बढ़ा सकता है ।

## १४ - प्रबन्ध समिति के अधिकार एंव उत्तरदायित्व -

प्रबन्ध समिति संस्था के सभी व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगी व उसको संस्था के सचिति - पत्र में लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के अधिकार होंगे ।

## १५ - नीति/ नियम निर्धारण:-

बिना उपरोक्त अधिकारों के हनन के प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि वह सेस्था के उद्देश्यों की पूर्ति व संचालन हेतु नीतियों / नियमों का निर्धारण कर निभिन्न उप समितियों का संस्था के संचालन हेतु गठन कर सके ।

**सत्य-प्रतिलिपि**

संस्थाका रजिस्ट्रार  
कानूनी शोभायात्र एवं चिट्ठा  
M. ३०४०, छाती  
१०-१०-१५

मधुरलन

## 16 - सामान्य व वित्त प्रबन्ध -

(4)

अ- प्रबन्ध समिति को संस्था के धन को खर्च करने विनिधान संविदा बैक खाता खोलना वार्षिक बजट बनाने के अधिकार होगा और उसके लिए आवश्यक नियम व निर्देश स्थापित करेगी ।

ब- प्रबन्धक समिति संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी एवं उनके सेवा नियम बनायेगी । समिति को कर्मचारियों को कर्मचारियों को हटाने का व उनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

स- प्रबन्ध समिति द्वारा जरिये प्रबन्धक संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी प्रामोद्योग, आयोग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों व व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों से धर्मार्थ आर्थिक सहायताएँ प्राप्त करना व वैको इत्यादि वित्तिय संस्थाओं से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना व उसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना ।

17- प्रबन्ध समिति प्रबन्धक के द्वारा संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्धन करेगी साधारण सभा में अपनी वार्षिक आख्या, वार्षिक सम्परीक्षित लेखाओं सहित प्रस्तुत करेगी ।

18- प्रबन्ध समिति अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को निम्नांकित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार जो कि आवश्यक हो, दे सकेगी ।

19- प्रबन्ध समिति की कम से कम वर्ष में चार बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता उसकी सहमति से होगी । प्रबन्ध समिति के निर्णय बहुमत से होंगे ।

20- अध्यक्ष किसी भी समय व प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों के आवेदन पर प्रबन्ध समिति की आवश्यक सभा बुलाएगा ।

21- प्रबन्ध समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचनाएँ लिखित दी जायेगी । प्रबन्ध समिति की बैठकों की गणपूर्ति कुल लंब्या की तिहाई होगी, स्थगित बैठकों के लिए गणपूर्ति की वायदा न होगी बसते कार्यसूची न बदली गई हो ।

## सत्य-प्रतिलिपि

मुकुरलत

१८/१८

संहायक रजिस्ट्रार  
कानूनी सेवाएँ एवं चिट्ठा  
डॉ. प्रेम, लाली  
१५-२-१०५

(3)

## 22. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य :-

### अध्यक्ष के अधिकार :-

क - समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

ख - संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य करना ।

ग - प्रस्तावों पर सभा का मत प्राप्त करना, गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देना व समिति द्वारा संस्थाओं की देख-रेख करना व बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना ।

## 23 - अन्य पदाधिकारी -

उपाध्यक्ष -: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समय कार्यों का निर्वाहन करना व अध्यक्ष को उसके कार्य में सहायता करना ।

प्रबन्धक - 1- संस्था के कार्यकलापों को सम्पन्न करना ।

2 - संस्था के बाहर जाने वाले कागजात तथा रिकार्ड का सत्यापन एवं हस्ताक्षरित करना ।

3 - संस्था की पूंजी का प्रबन्ध समिति द्वारा पास नियमों के आधीन रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा, दान, अनुदान व ऋण आदि प्राप्त करना ।

4 - प्रबन्धक समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को संस्था की उन्नति हेतु हर सम्बन्ध प्रयास से कायांन्वित करना ।

5 - समस्त विल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना, संस्था के सभी अभिलेख व प्राप्त सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना ।

6 - प्रबन्धक को कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करने का अधिकार प्रबन्ध समिति की प्रत्याशा में नियमानुसार होगा ।

उपप्रबन्धक -: प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को सम्पादित करना ।

कोषाध्यक्ष -: आय तथा व्यय का सम्पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख तैयार करना, एवं उनका रख रखाव करना ।

24. कार्यकाल -: चयनित प्रबन्ध समिति तीन वर्ष तक कार्य करेगी ।



सत्य-प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार  
कांडे सोस.पटीज एवं चिट्ठा

14 द०प्र०, साढ़ी  
19-2-82

*[Signature]*

*[Signature]*

मधुरलन्दा

15/1/80

(2)

### 25. आय के लोत :-

संस्था के आय के लोत निम्नलिखित होंगे - सदस्यों से प्राप्त कोई राशि, विद्यार्थियों से प्राप्त कीस, विनियोग (Investment) से आय, सरकारी या किसी भव्य संस्था, व्यक्ति द्वारा प्राप्त अनुदान व दान।

### 26. वित्तिय वर्ष :- संस्था के वित्तिय वर्ष । अडेल से भारम्प ठेकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगा।

### 27. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोर्ट फाइल में संस्था के नाम जाता लोल कर रखा वायेगा। जाते का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो व्यक्तियों के डस्टाकार से होगा।

### 28. आय व्यय निरीक्षक :- संस्था के सम्पूर्ण आय-व्यय आइट किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट बो कि साधारण सभा द्वारा नियुक्त होगा प्रत्येक वर्ष कराया वायेगा।

### 29. वार्षिक आख्या :- अध्यक्ष संस्था के वर्ष में किये गये कार्यकालों की आख्या तैयार करेगा बो कि अबन्ध हमें द्वारा अनुमोदित कराकर साधारण सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा।

### 30. संस्था का पवित्र कार्यालय संघ्राम सदन गेट नं० ३ भैड़िकल कालेव के सामने कानपुर रोड जांही होगा

### 31. संस्था के सदस्यों को कोई भी सूचना व्यवितारण रूप से डस्टाकार कराकर या डाक द्वारा सदस्य के अन्तिम पते पर बुक पोर्ट द्वारा भेजी वायेगी।

### 32. संस्था के स्मृति पढ़ या नाम में परिवर्तन सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत ही करा वा सकेगा

### 33- संस्था के नियमों/विनियमों में लंशोधन फ़ूकिया। संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन सभा के दो तिथाई बहुमत के आधार पर होगा।

### 34. संस्था का विघटन :- संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रिविस्टेशन एक्ट की द्वारा 13 एवं 14 के अनुसार ही होगी साधारण सभा दो तिथाई गत से विघटन की कार्यवाही कर सकेगी। विघटन होने पर संस्था की कोई भी धनराशि देनदारियों के बाद बचने पर संस्था के लदस्यों में किसी भी तरह से नहीं बांटी वायेगी। ऐसी धनराशि किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं विनके उददेश्य शिक्षा के उत्थान हेतु ही उन्हे साधारण सभा की सहमति से बांट दिया वायेगा।

### 35. संस्था की कोई भी कार्यवाही संस्था के नियमों में किसी कूनी की दबह से अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी। साधारण सभा की ऐसी किसी भी कार्यवाही की पुष्टि का अधिकार होगा।

### 36. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध संचालित अवाली कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के उन्नतक के अवधा उसके द्वारा भवित्व व्यक्त करे जायेगा।

## सत्य-प्रतिलिपि

मुरली  
मुरली

सहायक  
राजस्ट्रार  
फार्म्स सोसायटी एवं चिट्ठा  
द०४०, जांही

१९-२-०५

प्रतिलिपि क्रमांक ०२